



लक्ष्मीबाईराष्ट्रीय शारीरिकशिक्षासंस्थान, ग्वालियर
Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India
(Declared vide Govt. of India MHRD Notification NO. F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995
under section 3 of UGC Act, 1956)

क्रमांक: शैक्ष./177/2024/ 81

दिनांक: 20/09/2023

सूचना

संस्थान के शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रथम सैमेस्टर के विद्यार्थियों के अतिरिक्त समस्त कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आर्थिक रूप से आसक्त विद्यार्थियों हेतु छात्र कल्याण कोष से नियमानुसार आर्थिक सहायता जारी की जाती है।

उक्त सहायता हेतु आवेदन पत्र दिनांक 25/08/2023 तक आमंत्रित किये गये थे जिसकी आवेदन तिथि पुर्ननिधारित नवीन तिथि दिनांक 29/09/2023 की जाती है। विद्यार्थियों को निम्नलिखित मर्दों में संस्थान द्वारा जारी छात्र कल्याण कोष नियमावली अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किया जावेगा :


1. खेल सांस्कृतिक गतिविधियाँ, एन.एस.एस., एन.सी.सी. में उच्च प्रदर्शन।
2. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस / संगोष्ठी।
3. आकस्मिक चिकित्सकीय सहायता।
4. देहांत/दिव्यांगता की परिस्थिति में।
5. आर्थिक रूप से असक्त छात्र/छात्राओं के शिक्षा में सहयोग हेतु।
6. अन्य सदृश्य कारण।

विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र सभी वांछित संबंधित दस्तावेजों (आय प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. कार्ड इत्यादि) के साथ दिनांक 29/09/2023 तक आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

(प्राधिकार: कुलपति महोदय का अनुमोदन दिनांक: 20/09/2023)

प्रतिलिपि:

- कुलपति सचिवालय
- डीन, एन.ई.आर.सी. केन्द्र गोवाहाटी
- कुलसचिव सचिवालय
- उप कुलसचिव (शैक्ष.)
- प्रभारी आई.सी.टी. - संस्थान बेववाईड पर अपलोड किये जाने के संबंध में।
- समस्त कक्षाओं में परिचालनार्थ
- भोजनालय सूचना पटल
- प्रभारी शैक्षणिक विभाग
- संबंधित पंजी।


(अमित यादव)
कुलसचिव प्रभारी
